फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

कालु बनाम हमना

मुकदमा नम्बर :– 90/15

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	19/12/15	पी.डी.उप.। प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता को न्यायालय समय समाप्त होने तक बार-बार आवाज दिलायी गयी। लेकिन अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है। डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा.कि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर होकर कम हो। तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

मु0सं0—90/2015
उनवान—कालू बनाम हुक्मा वगै0
निर्णय दिनांकः—19.12.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :—प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

विशेष विवरण

मुकदमा नम्बर :—90/2015

उनवान

कालू पुत्र स्व0 गोपी यादव, उम्र 60 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ग्राम नांगलकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।

—वादी—

बनाम

1. हुक्मा पुत्र भूरा, उम्र 51 वर्ष, जाति अहीर, निवासी मंगरावाली ढ़ाणी, ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, मंगरावाली ढ़ाणी, तन गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं जिला जयपुर जरिये प्रधानाध्यापक।
5. सीताराम पुत्र हनुमान, उम्र 46 वर्ष, जाति अहीर, निवासी मंगरावाली ढ़ाणी, तन गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. जगदीश पुत्र हुनमान, उम्र 44 वर्ष, जाति अहीर, निवासी मंगरावाली ढ़ाणी, तन गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. जगन्नाथ पुत्र गोपी (मृतक दौराने दावा)

7/1. घीसी देवी पत्नी स्व0 जगन्नाथ (मृतक दौराने दावा)
7/2. प्रभातीलाल पुत्र स्व0 जगन्नाथ
7/3. विमला पुत्री स्व0 जगन्नाथ
7/4. कमली पुत्री स्व0 जगन्नाथ
7/5. मन्नालाल पुत्र स्व0 जगन्नाथ
7/6. मदन पुत्र स्व0 शान्ति देवी पुत्री स्व0 जगन्नाथ
7/7. राजवीर पुत्र स्व0 शान्ति देवी पुत्री स्व0 जगन्नाथ
7/8. नानू पुत्र स्व0 शान्ति देवी पुत्री स्व0 जगन्नाथ
7/9. फूलचन्द पुत्र स्व0 शान्ति देवी पुत्री स्व0 जगन्नाथ
7/10. सतीश पुत्र स्व0 शान्ति देवी पुत्री स्व0 जगन्नाथ

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नांगलकलां, वाया गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

8. बंशी पुत्र गोपी, उम्र 55 वर्ष, जाति अहीर, ग्राम नांगलकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. सांवरमल पुत्र बोदू, उम्र 40 वर्ष, जाति अहीर, ग्राम नांगलकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–19.12.2024

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार व संयुक्त कुटुम्ब के सदस्य हैं, जिनकी पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि गत खसरा नं0 882 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 883 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 885 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 892 मि0 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 894 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 896 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, कुल किता 6 का कुल रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा के हाल खसरा नं0 1617 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 1620 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 1621 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 1622 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 1646 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 1656 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 1657 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 1658 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 1662 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 1602 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 1603 मि0 रकबा 0.29 है0 में से 0.08 है0, खसरा नं0 1660/2008 रकबा 0.13 है0, कुल किता 12 का कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर भूमि ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित रही है, जोकि वादपत्र में भूमि विवादग्रस्त है, जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पिता का 1/6 भाग व प्रतिवादी सं0 5 व 6 के पिता का 1/6 भाग व प्रतिवादी सं0 7 का 1/6 व प्रतिवादी सं0 8 का 1/6 व प्रतिवादी सं0 9 के पिता के नाम 1/6 भाग प्रत्येक का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में बराबर–बराबर रहा है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त रहे हैं तथा वर्तमान में भी इसी अनुसार उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। भू–प्रबन्ध विभाग के दौरान विवादग्रस्त कृषि भूमि का विधि विरुद्ध वादी की बिना सहमति व बिना सुनवाई के

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विभाजन का नामान्तकरण सं0 594 द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के व बिना किसी पंजीकृत दस्तावेज के 1/6 हिस्से से अधिक खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं0 1 के पिता ने भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर करवा ली जो अवैद्य है। वादी ने उक्त नामान्तकरण सं0 594 की अपील सक्षम न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील सं0 19/95 की गई जिसमें उक्त नामान्तकरण सं0 594 व भू–प्रबन्ध अधिकारी चौमूं के निर्णय आदेश दिनांक 29.12.1989 को निरस्त कर दिया गया तथा उक्त कृषि भूमि में उक्त खातेदारों की पूर्व स्थिति बहाल कर दी गई थी लेकिन उक्त निर्णय का अमल दरामद रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया तथा गलत तरीके से दर्ज रिकॉर्ड वर्तमान में भी दर्ज है। प्रतिवादी सं0 1 के पिता द्वारा गलत तरीके से बनावटी व फर्जी दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर फायदा उठाकर प्रतिवादी सं0 4 को कुछ कृषि भूमि की खातेदारी अवैद्य तरीके से नाम करवा दी गई तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा उक्त गलत तरीके से दर्ज रिकॉर्ड भूमि अवैद्य तरीके से प्रतिवादी सं0 10 के यहां रहन कर दी गई एवं प्रतिवादी सं0 4 की अवैद्य तरीके से दी गई खातेदारी खत्म किये जाने योग्य है। भू–प्रबन्ध विभाग, चौमूं को बिना क्षेत्राधिकार व सक्षम दस्तावेज के उक्त वादी की खातेदारी खत्म करने व प्रतिवादी सं0 1 को देने का कोई विधिक अधिकार नहीं था तथा वादी ने उक्त अवैद्य कार्यवाही करने की अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर के यहां प्रस्तुत कर उक्त आदेश को निरस्त करवा दिया गया लेकिन आदेश की पालना नहीं होने से उक्त रिकॉर्ड आज भी वर्तमान में गलत तरीके से प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है। उक्त गलत तरीके से दर्ज रिकॉर्ड का फायदा उठाकर उक्त कृषि भूमि में से बिना हक–अधिकार प्रतिवादी सं0 1 ने कुछ खातेदारी प्रतिवादी सं0 4 के नाम करवा दी, जो दुरुस्त किये जाने योग्य है। वास्तविक तौर पर पुश्तैनी रुप से वादी का उक्त विवादित आराजियात का कब्जा भौतिक चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी है तथा वादी द्वारा उक्त भूमि पर फसल बौ रखी है तथा वादी उक्त भूमि का लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा फर्जी बनावटी रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाने का आश्वासन दिया गया तथा कहा गया कि आप तो काबिज काश्त रहो यह भूमि तुम्हारी ही रहेगी लेकिन उक्त भूमि के बाजारु भाव बढ़ जाने की वजह से प्रतिवादी सं0 1 की नियत में फितुर आ गया तथा प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 30.10.2015 को उक्त भूमि के फर्जी व बनावटी रिकॉर्ड के आधार पर भू–माफियाओं को बेचान की धमकी वादी को दी गई, जिस कारण उक्त वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

वादी द्वारा वादपत्र मय शपथ–पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी सं0 1 बाबत घोषणा का डिक्री किया जाकर वादी का पूर्व रिकॉर्ड अनुसार 1/6 भाग, प्रतिवादी सं0 1 का 1/6, प्रतिवादी सं0 5, 6 का 1/6 व प्रतिवादी सं0 7 के वारिसान का 1/6 भाग व प्रतिवादी सं0 8 का 1/6 भाग व प्रतिवादी सं0 9 का 1/6 भाग की घोषणा की जावे तथा इस अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। जिस हेतु प्रतिवादी सं0 2 को आदेशित किया जावे। वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी सं0 1 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी सं0 1 भूमि विवादग्रस्त के वादी द्वारा स्वयं के हिस्से के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे, ना ही उक्त विवादित भूमि का बेचान, हस्तानान्तरण दीगरान को करें तथा प्रतिवादी सं0 2 विवादित आराजियात बाबत किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन–परिवर्धन नहीं करें तथा प्रतिवादी सं0 3 उक्त विवादित आराजियात बाबत प्रस्तुत किसी भी लेख–पत्र, हस्तानान्तरण पत्र आदि को तस्दीक नहीं करें अर्थात् उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें अर्थात् प्रतिवादीगण विवादित आराजियात की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 4, 7/2, 7/5, 8, 10 अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जा चूकी है तथा शेष प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब न देकर वादी का वाद अन्तिम डिक्री जारी किये जाने की सहमति जाहिर की गयी है। वादी अधिवक्ता ने वाद के समर्थन में गवाह कालू पुत्र गोपी स्वयं व स्वतंत्र गवाह के रूप में सूरजमल पुत्र गुल्लाराम, राजेन्द्र पुत्र बंशीधर ने साक्ष्य के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। साथ ही वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत् 2022, प्रदर्श 2 नामान्तकरण संख्या 163, प्रदर्श 3 जमाबन्दी सम्वत् 2030–2033, प्रदर्श 4 नामान्तकरण संख्या 594, प्रदर्श 5 नामान्तकरण संख्या 390, प्रदर्श संख्या 6 नामान्तकरण संख्या 419, प्रदर्श 7 ई रजिस्ट्रेशन फीस रसीद, प्रदर्श 8 ई रजिस्ट्रेशन फीस रसीद, प्रदर्श 9 विभाजन पत्र, प्रद्रर्श 10 निर्णय भू–प्रबंधन अधिकारी जयपुर का पेश कर निवेदन किया है कि गत खसरा नं0 882 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 883 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 885 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 892 मि0 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 894 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 896 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, कुल किता 6 का कुल रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा के हाल खसरा नं0 1617 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 1620 रकबा 0.35 है0, खसरा

... कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

नं0 1621 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 1622 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 1646 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 1656 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 1657 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 1658 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 1662 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 1602 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 1603 मि0 रकबा 0.29 है0 में से 0.08 है0, खसरा नं0 1660 / 2008 रकबा 0. 13 है0, कुल किता 12 का कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर भूमि ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार व संयुक्त कुटुम्ब के सदस्य हैं, जिनकी पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। हमारे पिता गोपी पुत्र साधु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। गोपी पुत्र साधु की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 163 के द्वारा नामान्तकरण अमल दरामद हुआ। इसके पश्चात आदेश मिसल नम्बर 800 / 89 निर्णय दिनांक 29.12.1989 के द्वारा भूरा पुत्र गोपी के नाम सम्पूर्ण खातेदारी अमल दरामद कर दी गई तथा अन्य वारिशान का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया। उक्त नामान्तकरण की अपील भू—प्रबधं अधिकारी जयपुर के की गई जिसमें सहायक भू—प्रबधं अधिकारी ने आदेश दिनांक 29.12.1989 एवं इसके क्रम में खोले गये नामान्तकरण संख्या 594 निरस्त करके तकासमें हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के आदेश दिये। इसी दोरान भूरा पुत्र गोपी के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय ढाणी मंगरावाली तन गोविन्दगढ को आराजी खसरा नम्बर 892 / 2 का कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 1 / 2 भाग दिनांक 26.02.1993 को जरिये रजिस्टर्ड दान की गई।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान की सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का बगोर अवलोकन किया गया। प्रदर्श 01 जमाबंदी सम्वत 2022 में विवादित भूमि गोपी पुत्र साधु के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त खातेदार की मृत्यु उपरान्त प्रदर्श 2 नामान्तकरण संख्या 163 के द्वारा गोपी के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज किया गया। प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत 2030 से 2033 तक गोपी के वारिशान के नाम विवादित भूमि दर्ज होकर खातेदारी भूमि रही है। प्रदर्श 4 नामान्तकरण संख्या 594 दिनांक 20.01.1990 के द्वारा सम्बन्धित राजस्व अधिकारी / कर्मचारी के द्वारा मिशल नम्बर 800 / 89 निर्णय दिनांक 29.12.1989 के अनुसार खाता विभाजन का नोट अंकित कर कॉलम संख्या 7 में दर्ज खातेदारान / काश्तकारान का नाम हजफ कर सीधे ही कॉलम संख्या 9 में एकमात्र भुरा पुत्र गोपी के नाम विधि विरूद्ध खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल होने पर सम्बन्धित हितबद्ध पक्षकारान के द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबन्धक अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील संख्या 19 / 95 प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 16.10.1995

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

को निर्णय पारित कर अपील इस निर्देश के साथ स्वीकार की गयी की सहखातेदारो को तकासमा सक्षम न्यायालय में करवाना चाहिए एवं आदेश दिनांक 29.12.1989 क्षैत्राधिकार से बहार किया गया है। जो स्वतः कानूनी रूप से शून्य व अपने आप में नलिटी बताया जाकर सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी के द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.12.1989 के कम में नामान्तकरण संख्या 594 निरस्त करते हुए तकासमा बाबत पक्षकारान सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रदर्श संख्या 4 नामान्तकरण संख्या 594 दिनांक 20.01.1990 पूर्व से ही प्रभाव शून्य है। इसी दौरान भूरा पुत्र गोपी के द्वारा दिनांक 26.02.1993 को जरिये पंजिबद्ध दान पत्र राजकिय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय ढाणी मंगरावाली तन गोविन्दगढ के पक्ष में निष्पादित किया गया। जिसका राजस्व रिकार्ड में भी अमल हो चुका है। ऐसे में न्यायालय का अभिमत है कि पूर्व में दर्ज खातेदार भूरा पुत्र गोपी के द्वारा अपने जीवनकाल में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय ढाणी मंगरावाली तन गोविन्दगढ को आराजी खसरा नम्बर 892 / 2 का कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 1 / 2 भाग का जरिये रजिस्टर्ड दान–पत्र के दान किये जाने से उक्त विद्यालय के नाम खोले गये नामान्तकरण को राजहित में यथावत रखा जाकर शेष विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि होना प्रमाणित है। जिसमें गोपी पुत्र साधु की मृत्यु उपरान्त मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होना विधि सम्वत् पाया जाता है। ऐसे में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि वाके हाल राजस्व ग्राम नांगलकलां व गोविन्दगढ तहसील चौमूं में स्थित नम्बर गत खसरा नं0 882 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 883 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 885 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 892 मि0 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 894 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 896 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, कुल किता 6 का कुल रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा के हाल खसरा नं0 1617 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 1620 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 1621 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 1622 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 1646 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 1656 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 1657 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 1658 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 1662 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 1602 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 1603 मि0 रकबा 0.29 है0 में से 0.08 है0, खसरा नं0 1660 / 2008 रकबा 0.13 है0, कुल किता 12 का कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर वादी को 1 / 6 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को 1 / 6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 7 / 2 ता 7 / 10 को 1 / 6 हिस्से का,

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

प्रतिवादी संख्या 8 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 9 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा गत आराजी खसरा न0 892/2 के हाल खाता संख्या 310 को राजहित को मध्यनजर रखते हुए उक्त विवादित आराजियात में खातेदार प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से 1/6 में से कम की जाकर पूर्व में दान की गई भूमि को यथावत रखते हुए शेष हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर अमल किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार चौमू को लिखा जावें।

अंतिम डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमू

सहायक कलक्टर
चौमू (जयपुर)

मु0सं0–90 / 2015
उनवान–कालू बनाम हुक्मा वगै0
निर्णय दिनांकः–19.12.2024

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

कालू पुत्र स्व0 गोपी यादव, उम्र 60 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ग्राम नांगलकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।

–वादी–

बनाम

1. हुक्मा पुत्र भूरा, उम्र 51 वर्ष, जाति अहीर, निवासी मंगरावाली ढ़ाणी, ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, मंगरावाली ढ़ाणी, तन गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर जरिये प्रधानाध्यापक।
5. सीताराम पुत्र हनुमान, उम्र 46 वर्ष, जाति अहीर, निवासी मंगरावाली ढ़ाणी, तन गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. जगदीश पुत्र हुनमान, उम्र 44 वर्ष, जाति अहीर, निवासी मंगरावाली ढ़ाणी, तन गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. जगन्नाथ पुत्र गोपी (मृतक दौराने दावा)

7/1. घीसी देवी पत्नी स्व0 जगन्नाथ (मृतक दौराने दावा)

7/2. प्रभातीलाल पुत्र स्व0 जगन्नाथ

7/3. विमला पुत्री स्व0 जगन्नाथ

7/4. कमली पुत्री स्व0 जगन्नाथ

7/5. मन्नालाल पुत्र स्व0 जगन्नाथ

7/6. मदन पुत्र स्व0 शान्ति देवी पुत्री स्व0 जगन्नाथ

7/7. राजवीर पुत्र स्व0 शान्ति देवी पुत्री स्व0 जगन्नाथ

7/8. नानू पुत्र स्व0 शान्ति देवी पुत्री स्व0 जगन्नाथ

7/9. फूलचन्द पुत्र स्व0 शान्ति देवी पुत्री स्व0 जगन्नाथ

7/10. सतीश पुत्र स्व0 शान्ति देवी पुत्री स्व0 जगन्नाथ

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नांगलकलां, वाया गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

8. बंशी पुत्र गोपी, उम्र 55 वर्ष, जाति अहीर, ग्राम नांगलकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. सांवरमल पुत्र बोदू, उम्र 40 वर्ष, जाति अहीर, ग्राम नांगलकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–90 / 2015

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि वाके हाल राजस्व ग्राम नांगलकलां व गोविन्दगढ तहसील चौमूं में स्थित नम्बर गत खसरा नं0 882 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 883 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 885 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 892 मि0 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 894 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 896 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, कुल किता 6 का कुल रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा के हाल खसरा नं0 1617 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 1620 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 1621 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 1622 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 1646 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 1656 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 1657 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 1658 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 1662 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 1602 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 1603 मि0 रकबा 0.29 है0 में से 0.08 है0, खसरा नं0 1660 / 2008 रकबा 0.13 है0, कुल किता 12 का कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर वादी को 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 7/2 ता 7/10 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 8 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 9 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा गत आराजी खसरा न0 892/2 के हाल खाता संख्या 310 को राजहित को मध्यनजर रखते हुए उक्त विवादित आराजियात में खातेदार प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से 1/6 में से कम की जाकर

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0—90 / 2015
उनवान—कालू बनाम हुक्मा वगै0
निर्णय दिनांकः—19.12.2024

पूर्व में दान की गई भूमि को यथावत रखते हुए शेष हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर अमल किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार चौमू को लिखा जावें।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज. की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 19.12.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.............................

ओहदा............................. सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	4	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	2
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	6	जोड़	2

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)